बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक–231/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हिन बाजार, पटना के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–60 दिनांक–14.01.2026 द्वारा निगरानी थाना काण्ड संख्या–110/2025 दिनांक–13.12.2025, धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) दर्ज किये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–17.12.2025 को श्री अभिषेक अकेला को परिवादी श्री रंजीत कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से 10,000/– (दस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में भेजा गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त सूचना एवं श्री अकेला के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री अकेला को कारा–निरोध की तिथि यथा–17.12.2025 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में श्री अकेला का मुख्यालय उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना रहेगा।

3. निलंबन अवधि में श्री अकेला को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पटना)–01/2026 1617 /खाद्य, पटना/दिनांक 06/04/2026

प्रतिलिपि–1. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–60 दिनांक–14.01.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री अभिषेक अकेला (कोटि क्रमांक–231/2024), प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, दुल्हिन बाजार, पटना सम्प्रति निलंबित, मोबाईल संख्या–9708440298, E-Mail : akela 9708440298@gmail.com (कारागार से रिहा होने के पश्चात् निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।